मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ 226001

संख्या डीजी परिपत्र संख्या 27 /201   दिनांक: लखनऊ: अप्रैल 19, 2015

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, इकाई, उ0प्र0।
समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषय:-दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री रिशाद मुर्तजा, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.04.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रायः यह देखा जा रहा है विवेचकों द्वारा पीड़िता के 164 सी.आर.पी. सी. के तहत बयान इसलिए सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज नहीं कराये जाते है, क्योंकि मुकदमा 156(3)के प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत दर्ज किया जाता है, एवं कभी-कभी पीड़िता की बरामदगी के बाद भी 164 सी.आर.पी. सी. के तहत कलमबंद बयान दर्ज नही कराये जाते है, जिसके कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमों की सुनवाई के समय कड़ी आपत्ति/नाराजगी जाहिर की जाती हैं, एवं उच्चाधिकारियों को भी तलब कर लिया जाता है।

इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में यह प्राविधानित किया गया है कि,

धारा 164 का संशोधन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-164 की उपधारा-(5) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात:-

> ''(5क) (क) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा-354, धारा-354 क, धारा-354 ख, धारा-354 ग, 354 घ, धारा 376 घ, धारा 376 ङ या धारा 509 के **अधीन दण्डनीय मामलों में, न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरूद्ध उपधारा (5) में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा।**''

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में किये गये उपरोक्त प्राविधान का अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

19.4.15

(ए0के0 जैन)
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।